संख्या-46/2024/1075ई-2/तेरह-2024-1712056

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 17 दिसम्बर, 2024

विषयः मेसर्स वारूणी ग्लोबल प्रा.लि. खसरा नं.-69, बिजली घर के सामने अम्बेहटापीर, ग्राम बीराखेड़ी, तहसील नकुड़, जनपद सहारनपुर को 2,94,163 (दो लाख चौरानबे हजार एक सौ तिरसठ मात्र) लीटर वार्षिक क्षमता की द्राक्षासवनी स्थापित किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने मूल पत्र संख्याःजी-78/दो-प्रा.डी.-262/वारूणी, दिनांक 16-10-2024 एवं तत्संबंधी अपने अन्य पत्रों दिनांक 14-11-2024 एवं दिनांक 06-12-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्रों में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-20/2023/892ई-2/तेरह-2023-1712056, दिनांक 18.05.2023 द्वारा मेसर्स वारूणी ग्लोबल प्रा.लि. जिला सहारनपुर को 80,640 ब.ली. वार्षिक क्षमता की द्राक्षासवनी स्थापित किये जाने हेतु प्रदान की गयी अनुमति को निरस्त करते हुये मेसर्स वारूणी ग्लोबल प्रा.लि., खसरा नं.-69, बिजली घर के सामने अम्बेहटापीर, ग्राम बीराखेड़ी, तहसील नकुड़, जनपद सहारनपुर को उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 के प्राविधानानुसार इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये फरमेन्टेशन टैंकों की क्षमता, फरमेन्टेशन साइकिल टाइम के आधार पर 840.47 (लगभग) लीटर प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 2,94,163 (दो लाख चौरानबे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

हजार एक सौ तिरसठ मात्र) लीटर वार्षिक क्षमता की द्राक्षासवनी स्थापित किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 में उल्लिखित शर्तें।

(2) समय-समय पर शासन द्वारा आबकारी नीति में निर्धारित निर्देश।

(3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 02-04-2024 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

(4) इकाई को अग्निशमन विभाग से प्राप्त् अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 24-04-2024 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

(5) इकाई द्वारा द्राक्षासवनी चलाये जाने से पूर्व नियमानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/ नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(6) आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई आबकारी राजस्व बकाया नहीं है।

(7) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

(9) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in